

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र05(2)बजट आवंटन(स्था0 एवं प्रति0 व्यय)-03/2025

10/06/2025

खाद्य, पटना / दिनांक 12/06/2025

प्रेषक,

मो0 नैय्यर इकबाल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बिहार, पटना।

अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-पटना, नालंदा, कैमूर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, पश्चिमी चम्पारण (बेतिया), सहरसा, जमुई किशनगंज, कटिहार, औरंगाबाद, पूर्णिया एवं खगड़िया।

निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना।

विषय:- मुख्य शीर्ष-3456 सिविल पूर्ति, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 001 निदेशन तथा प्रशासन, उपशीर्ष 0003 जिला प्रभार (उपभोक्ता संरक्षण) मांग सं0-18 विपत्र कोड सं0-18-3456000010003 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु **कुल 5,96,52,410/- (पाँच करोड़ छियानवे लाख बावन हजार चार सौ दस) रुपये मात्र** का आवंटन एवं व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग के पत्रांक-2561/वि0 दिनांक-17.04.1998, पत्रांक-227/वि0 दिनांक-28.03.2025 एवं पत्रांक-235/वि0 दिनांक-01.04.2025 में निहित निदेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु विषयांकित शीर्ष के अन्तर्गत **संलग्न तालिका 'क' एवं 'ख' के अनुसार मदवार कुल 5,96,52,410/- (पाँच करोड़ छियानवे लाख बावन हजार चार सौ दस) रुपये मात्र** कॉलम 5 के अनुसार आवंटित किये जाते हैं :-

तालिका

क्र0	विस्तृत शीर्ष	विषय शीर्ष	बजट उपबंध	आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1	01-वेतन	01 वेतन	17,09860,00	2,86,91,000
		02 विशेष वेतन	68,49,000	9,01,000
		03 जीवन यापन भत्ता	12,12,78,000	99,41,000
		04 मकान किराया भत्ता	2,43,36,000	42,96,000
		05 परिवहन भत्ता	66,55,000	6,65,000
		06 चिकित्सा भत्ता	24,48,000	5,75,000
		07 अन्य भत्ता	27,90,000	52,000
	योग-18-3456.00.001.0003.01-वेतन		33,53,42,000	4,51,21,000
2	06 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	8,50,000	2,00,000
	योग- 18-3456.00.001.0003.06-चिकित्सा प्रतिपूर्ति		8,50,000	2,00,000
3	11 यात्रा व्यय	01 यात्रा व्यय	40,00,000	2,00,000
	योग- 18-3456.00.001.0003.11-यात्रा व्यय		40,00,000	2,00,000
4	13 कार्यालय व्यय	01 कार्यालय व्यय	37,00,000	1,20,000
		02 वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव	9,50,000	00
		03 दूरभाष	18,00,000	30,000

		04 विद्युत प्रभार	18,00,000	1,80,000
		05 विधि प्रभार	5,00,000	00
		06 वर्दी/पोशाक	00	00
		07 विद्युत प्रभार डी0पी0एस0	4,00,000	00
		10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान	5,50,000	00
	योग-18-3456.00.001.0003.13-कार्यालयी व्यय		97,00,000	00
05	14 किराया दरें और कर	01 किराया महसूल एवं कर	4,00,000	00
	योग-18-3456.00.001.0003.14-किराया दरें और कर		4,00,000	00
06	20 अन्य प्रशासनिक व्यय	02 कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार	25,000	00
		03 प्रशिक्षण व्यय	8,50,000	00
	योग-18-3456.00.001.0003.20-अन्य प्रशासनिक व्यय		8,75,000	00
07	21 सामग्री और आपूर्ति	01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	41,000	00
	योग-18-3456.00.001.0003.21-सामग्री और आपूर्ति		41,000	00
08	26 विज्ञापन और प्रकाशन	01 विज्ञापन और प्रकाशन	65,00,000	00
	योग-18-3456.00.001.0003.26-विज्ञापन और प्रकाशन		65,00,000	00
09	28-व्यावसायिक सेवाये	02 संविदा सेवाये	4,30,00,000	00
	योग-18-3456.00.001.0003.28 व्यवसायिक सेवाये		4,30,00,000	1,38,01,410
10	51 मोटर वाहन	01 मोटरगाड़ी कार्यालय	1,000	00
	योग-18-3456.00.001.0003.51-मोटर वाहन		1,000	00
11	52 मशीनें एवं उपस्कर	02 मशीनें एवं उपस्कर-अन्य	1,000	00
	योग-18-3456.00.001.0003.52-मशीनें एवं उपस्कर		1,000	00
	कुल योग-18-3456.00.001.0003-जिला प्रभार (उपभोक्ता संरक्षण)		40,07,10,000	5,96,52,410

2. कुल 5,96,52,410/- (पाँच करोड़ छियानवे लाख बावन हजार चार सौ दस) रुपये का आवंटन इस आवंटनादेश से निर्गत किया जा रहा है जिसकी विवरणी 'क' में निम्नवत् है :-

: क :

क्र0	जिला कार्यालय का नाम	वेतन	विशेष वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान किराया भत्ता	परिवहन भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्य भत्ता	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बिहार, पटना	6200000	100000	1400000	2000000	222000	75000	8000	10005000
2	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पटना	2000000	50000	800000	220000	100000	50000	4000	3224000
3	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, नालन्दा	250000	50000	200000	50000	10000	4000	00	564000
4	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, कैमूर	700000	50000	600000	200000	10000	27000	4000	1591000
5	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, मुजफ्फरपुर	1600000	100000	700000	100000	65000	80000	00	2645000
6	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सीतामढ़ी	1650000	50000	900000	200000	10000	30000	4000	2844000
7	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, वैशाली	2860000	50000	600000	260000	60000	30000	8000	3868000
8	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प0 चम्पारण (बेल्तिया)	360000	50000	250000	10000	30000	4000	00	704000
9	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सहरसा	900000	50000	570000	200000	10000	30000	4000	1764000
10	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जमुई	3060000	50000	600000	244000	60000	30000	4000	4048000
11	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, किशनगंज	50000	50000	50000	23000	10000	20000	00	203000
12	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, कटिहार	3500000	50000	800000	163000	7000	30000	4000	4554000
13	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, औरंगाबाद	4000000	100000	1200000	200000	10000	45000	4000	5559000
14	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पूर्णिया	1460000	50000	600000	215000	10000	30000	4000	2369000

क्र०	जिला कार्यालय का नाम	वेतन	विशेष वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान किराया भत्ता	परिवहन भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्य भत्ता	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, खगड़िया	100000	50000	670000	210000	50000	30000	4000	1114000
16	उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना	1000	1000	1000	1000	1000	60000	00	65000
कुल योग:-		28691000	901000	9941000	4296000	665000	575000	52000	45121000

: ख :

क्र०	जिला कार्यालय का नाम	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	विद्युत प्रभार	दूरभाष	संविदा सेवाएँ	कुल
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण, बिहार, पटना	00	00	00	00	00	4000000	4000000
2	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पटना	00	50000	00	00	00	871800	921800
3	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, नालन्दा	00	00	00	00	00	571800	571800
4	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, कैमूर	00	00	00	50000	00	800000	850000
5	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, मुजफ्फरपुर	00	25000	25000	25000	00	2200000	2275000
6	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सीतामढ़ी	00	00	00	00	00	594210	594210
7	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, वैशाली	00	50000	00	50000	00	556000	656000
8	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पश्चिमी चम्पारण (बेतिया)	00	25000	25000	25000	00	900000	975000
9	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सहरसा	200000	00	00	00	00	300000	500000
10	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, खगड़िया	00	00	50000	00	00	652000	702000
11	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जमुई	00	00	00	00	00	230400	230400
12	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, कटिहार	00	00	00	00	00	420100	420100
13	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, औरंगाबाद	00	50000	00	00	00	1005000	1055000
14	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पूर्णिया	00	00	20000	30000	30000	500100	580100
15	उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना	00	00	00	00	00	200000	200000
कुल :-		200000	200000	120000	180000	30000	13801410	14531410

3. राशि की निकासी अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बिहार पटना/निदेशक उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन पटना से तथा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्षों द्वारा एवं उनकी अनुपस्थिति में जिला पदाधिकारी द्वारा संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।

4. राशि की निकासी पूर्णतः वित्तीय नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों में निहित निदेश के आलोक में की जायेगी। गलत एवं अधिक निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

5. संविदा पर नियोजित कर्मियों का मानदेय व्यावसायिक सेवाएँ अन्तर्गत संविदा सेवाएँ मद से देय होगी। बेल्ट्रॉन के माध्यम से संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों के मानदेय की राशि इस आवंटन में सम्मिलित है।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह की 10वीं तिथि तक इकाईवार व्यय प्रतिवेदन निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

7. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में होने वाले पूर्ण व्यय का आकलन करते हुए पूर्व में प्रेषित विभागीय पत्र के आलोक में दिये जा रहे आवंटन के अतिरिक्त यदि और राशि की आवश्यकता हो तो पूर्ण औचित्य के साथ इकाईवार विस्तृत विवरणी सहित राशि की अधियाचना उपलब्ध करायी जाय।
8. इस आवंटन में सदस्यों के मानदेय की राशि भी सम्मिलित है।
9. इस आवंटन से स्वीकृत बल के आलोक में कार्यरत कर्मचारियों/पदाधिकारियों को ही नियमतः भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट आवंटन(स्था0 एवं प्रति0 व्यय)-03/2025

10 (972)

खाद्य, पटना/दिनांक 12/06/2025

प्रतिलिपि:-महालेखाकार बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट आवंटन(स्था0 एवं प्रति0 व्यय)-03/2025

10 (972)

खाद्य, पटना/दिनांक 12/06/2025

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, पटना/सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट आवंटन(स्था0 एवं प्रति0 व्यय)-03/2025

10 (972)

खाद्य, पटना/दिनांक 12/06/2025

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, (बजट शाखा) बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी 02 एवं 05/सचिव कोषांग, आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता एवं संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

dm

12/06/25